



207

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-शिवपुरी

AG-2007-II-16

- 1- भागीरथ पुत्र श्री गजुआ उर्फ गजुवा शहर (आदिवासी)
- 2- मेवाराम पुत्र श्री गजुआ उर्फ गजुवा शहर (आदिवासी)
निवासी - ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना जिला - शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर
जिला - शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2015-16/अ-21
(1) में पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व
संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 3- यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 510 रकवा 0.35, एवं सर्वे नं. 511 रकवा 1.35 है0 भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 2 बीघा (0.40 है0) भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है। जिसमें मुख्य आधार यह लिया गया था कि वह अपनी शेष बची भूमि को कृषि उपयोगी बनाने तथा अपनी पुत्री की शादी करने हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर भूमि विक्रय

Presented
by R.S. Ahirwar
23/06/2016

R.S. Ahirwar Adv
23.6.16 को
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर


1/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 2007/दो/2016

जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.07.16	<p>आवेदक अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के आवेदन पर सुना गया।</p> <p>अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश सर्वे क्रमांक 511 का रकवा 1.35 है० का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तविक रूप से भूमि सर्वे क्रमांक 511 का रकवा 1.85 है० होना चाहिये।</p> <p>ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा अभिभाषक के तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत खसरा की प्रति का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आदेश में सर्वे क्रमांक 511 का रकवा 1.85 हैक्टेयर पढा जाये। उक्त आदेश मूल आदेश का अंग होगा।</p>	<p> सदस्य</p>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2007/दो/2016

जिला-शिवपुरी

क्रमांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
83.6.16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 18/2015-16/अ-21(1) में पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 510 रकवा 0.35, एवं सर्वे नं. 511 रकवा 1.35 है0 भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 2 बीघा (0.40 है0) भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है। जिसमें मुख्य आधार यह लिया गया था कि वह अपनी शेष बची भूमि को कृषि उपयोगी बनाने तथा अपनी पुत्री की शादी करने हेतु रुपयों की आवश्यकता होने पर भूमि विक्रय करना चाहता है, ऐसी</p>	





स्थिति में कलेक्टर, जिला शिवपुरी को उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार किये बिना प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। किन्तु उनके द्वारा विक्रय की अनुमति नहीं दी गयी। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

3- आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया था। आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 510 रकवा 0.35, एवं सर्वे नं. 511 रकवा 1.35 है 0 भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 2 बीघा (0.40 है 0) भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है क्योंकि आवेदक की शेष बची भूमि में सुधार कर तथा उसे कृषि योग्य बनाने हेतु धन की आवश्यकता है, किन्तु कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार न कर जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है, और उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

4- अनावेदक म०प्र० शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस

NSL

NSL

प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, अतः इसी आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।


5- विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रतीक्षण से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक आवश्यकता से भूमि विक्रय की अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी है। इस संबंध में उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वह अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की सम्पूर्ण भूमि में से ग्राम जालमपुर पनिहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 510 रकवा 0.35, एवं सर्वे नं. 511 रकवा 1.35 है। भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 2 बीघा (0.40 है०) विक्रय करने हेतु आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि वह उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात चाहता वह भूमिहीन नहीं होंगे एवं अपनी बची हुयी भूमि को कृषि योग्य बना सकेंगे। बल्कि उनके जीविकोपार्जन में पर्याप्त भूमि शेष रहेगी। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की पारिवारिक आवश्यकताओं पर विचार किये बिना जो कार्यवाही एवं आदेश कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा की जा रही है,

Signature

Signature

वह विधिवत नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 अपास्त किया जाकर आवेदक को ग्राम जालमपुर पानिहारा तहसील खनियाधाना पटवारी हल्का नं. 19 में भूमि सर्वे नं. 510 रकवा 0.35, एवं सर्वे नं. 511 रकवा 1.35 है० भूमि का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य धारी है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से केवल रकवा 2 बीघा (0.40 है०) भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।


सदस्य

